

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 195/2023

दायर दिनांक 12.09.2023

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार मौलासर।

1. उमाराम पुत्र छोटूराम
2. नानुराम पुत्र छोटूराम
3. रामेश्वर राम उर्फ रामेश्वर लाल पुत्र छोटूराम
4. जुगाराम उर्फ जुगलराम पुत्र छोटूराम
5. गोदुराम पुत्र छोटूराम
6. लच्छाराम पुत्र रामदेव राम
7. दल्ला राम पुत्र रामदेव राम
8. गणपतराम पुत्र गोर्धनराम
9. श्योदाना राम उर्फ सौदान राम पुत्र गोर्धनराम
10. नोलाराम पुत्र गोर्धनराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पाबुपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राज0
11. गंगा पुत्री गोर्धनराम व पत्नी रामेश्वरलाल
12. नानी उर्फ ननु देवी पुत्री गोर्धाराम पत्नी भंवारलाल समस्त जाति मेघवाल निवासी पाबुपुरा हाल निवासी ललासरी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
13. प्रभुराम पुत्र हणमान राम
14. गुमाना राम पुत्र हणमानराम
15. प्रहलादराम पुत्र पुसाराम
16. मीरा देवी पत्नी पुसाराम
17. सोहनलाल पुत्र गणेशाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पाबुपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना- कुचामन राज0

बनाम्

दावा बाबत
रेकर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा- 88

1. मुकेश कुमार थोरी वकील वादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 27.11.2024

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 1361 रकबा 13.2200 हैक्टे0 किस्म भूमि चाही 3 मौजा पाबुपुरा, पटवार हल्का धनकोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनकोली तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान में अवस्थित है। नकल जमाबन्दी संवत 2076-2079 तथा रेवेन्यु ट्रेस नक्शा पेश है।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों ने रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के खसरा सं0 1361 रकबा 13.2200 हैक्टे0 के राजस्व नक्शे में छेड़छोड़ करते हुए नक्शा गलत दर्शित कर दिया जो नजरी नक्शा में मार्क A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O से दर्शित किया गया है जो कि गलत है जबकि वादीगण का मौके पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा अन्यत्र स्थान पर है। जिसे नजरी नक्शा में मार्क क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ से दर्शित किया गया है जो कि सही है। नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है जो वाद का ही अंग है।

inews
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है:-

वादीगण के वर्तमान खेत खसरा सं० 1361 को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O से हटाकर मार्क क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ स्थान पर राजस्व नक्शे में कायम कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाने का आदेश सादर फरमावें।

वादीगण सं० 3 का नाम रामेश्वर राम पुत्र छोटराम के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र छोटराम, वादीगण सं० 4 का नाम जुगाराम पुत्र छोटराम के स्थान पर जुगल राम पुत्र छोटराम, वादीगण सं० 6 का नाम लच्छा पुत्र रामदेव के स्थान पर लच्छा राम पुत्र रामदेवा राम, वादीगण सं० 7 का नाम दला पुत्र रामदेव के स्थान पर दल्ला राम पुत्र रामदेव, वादीगण सं० 8 का नाम गणपत पुत्र गोरधन के स्थान पर गणपत राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं० 9 का नाम श्योदान राम पुत्र गोरधन के स्थान पर सौदान राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं० 10 का नाम नोलाराम पुत्र गोरधन के स्थान पर नोला राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं० 12 का नाम नानी देवी पुत्री गोरधन के स्थान पर नानु देवी पुत्री गोरधन राम, वादीगण सं० 13 का नाम प्रभु पुत्र हणमान के स्थान पर प्रभु राम मेघवाल पुत्र हनुमान राम, वादीगण सं० 14 का नाम गुमान पुत्र हणमान के स्थान पर गुमाना राम पुत्र हणमान राम, वादीगण सं० 15 का नाम प्रहलाद पुत्र पुसा के स्थान पर प्रहलाद राम पुत्र पुसा राम, वादीगण सं० 17 का नाम सोहन पुत्र गणेशा के स्थान पर सोहन लाल पुत्र गणेशाराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश सादर फरमावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक 391 दिनांक 28.05.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया, उपरोक्त वर्णित भूमि में दावा डिक्री कराने इस्तदुआ कर रहा है।

अतः तहसीलदार मौलासर कि रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण का हस्तगत वाद डिक्री सादर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

दावा डिक्री सादर कर मौजा पावपुरा, पटवार हल्का धनकोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनकोली तहसील मौलासर में वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं० 1361 रकबा 13.2200 हैक्टे० भूमि में नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O के स्थान पर मार्क क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ राजस्व नक्शे में कायम कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादीगण सं० 3 का नाम रामेश्वर राम पुत्र छोटराम के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र छोटराम, वादीगण सं० 4 का नाम जुगाराम पुत्र छोटराम के स्थान पर जुगल राम पुत्र छोटराम, वादीगण सं० 6 का नाम लच्छा पुत्र रामदेव के स्थान पर लच्छा राम पुत्र रामदेवा राम, वादीगण सं० 7 का नाम दला पुत्र रामदेव के स्थान पर दल्ला राम पुत्र रामदेव, वादीगण सं० 8 का नाम गणपत पुत्र गोरधन के स्थान पर गणपत राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं० 9 का नाम श्योदान राम पुत्र गोरधन के स्थान पर सौदान राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं० 10 का नाम नोलाराम पुत्र गोरधन के स्थान पर नोला राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं० 12 का नाम नानी देवी पुत्री गोरधन के स्थान पर नानु देवी पुत्री गोरधन राम, वादीगण सं० 13 का नाम प्रभु पुत्र हणमान के स्थान पर प्रभु राम मेघवाल पुत्र हनुमान राम, वादीगण सं० 14 का नाम गुमान पुत्र हणमान के स्थान पर गुमाना राम पुत्र हणमान राम, वादीगण सं० 15 का नाम प्रहलाद पुत्र पुसा के स्थान पर प्रहलाद राम पुत्र पुसा राम, वादीगण सं० 17 का नाम सोहन पुत्र गणेशा के स्थान पर सोहन लाल पुत्र गणेशाराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार रेकार्ड दुरुस्त हो।

(विकास मोहन भाटी)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विजय चण्डन भाटी)

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

डिक्री वमुकद्दमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,

बइजलास : पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 195/2023

दायर दिनांक 12.09.2023

वादीगण

प्रतिवादी

1. उमराम पुत्र छोटूराम
2. नानुराम पुत्र छोटूराम
3. रामेश्वर राम उर्फ रामेश्वर लाल पुत्र छोटूराम
4. जुगाराम उर्फ जुगलराम पुत्र छोटूराम
5. गोदुराम पुत्र छोटूराम
6. लच्छाराम पुत्र रामदेव राम
7. दल्ला राम पुत्र रामदेव राम
8. गणपतराम पुत्र गोरधनराम
9. श्योदाना राम उर्फ सौदान राम पुत्र गोरधनराम
10. नोलाराम पुत्र गोरधनराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पाबुपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना-कुचामन राज0
11. गंगा पुत्री गोरधनराम व पत्नी रामेश्वरलाल
12. नानी उर्फ ननु देवी पुत्री गोरधाराम पत्नी भंवारलाल समस्त जाति मेघवाल निवासी पाबुपुरा हाल निवासी ललासरी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राज0
13. प्रभुराम पुत्र हणमान राम
14. गुमाना राम पुत्र हणमानराम
15. प्रहलादराम पुत्र पुसाराम
16. मीरा देवी पत्नी पुसाराम
17. सोहनलाल पुत्र गणेशाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण पाबुपुरा तहसील मौलासर जिला डीडवाना- कुचामन राज0

1. तहसीलदार मौलासर।

बनाम्

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा- 88

दिनांक 27.11.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई मुकेश कुमार थोरी वकील वादीगण की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है हस्व दावा डिक्री सादिर कर मौजा पाबुपुरा, पटवार हल्का धनकोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र धनकोली तहसील मौलासर में वादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं0 1361 रकबा 13.2200 हैक्टे0 भूमि में नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O के स्थान पर मार्क क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ राजस्व नक्शे में कायम कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादीगण सं0 3 का नाम रामेश्वर राम पुत्र छोटूराम के स्थान पर रामेश्वर लाल पुत्र छोटूराम, वादीगण सं0 4 का नाम जुगाराम पुत्र छोटूराम के स्थान पर जुगल राम पुत्र छोटूराम, वादीगण सं0 6 का नाम लच्छा पुत्र रामदेव के स्थान पर लच्छा राम पुत्र रामदेवा राम, वादीगण सं0 7 का नाम दला पुत्र रामदेव के स्थान पर दल्ला राम पुत्र रामदेव, वादीगण सं0 8 का नाम गणपत पुत्र गोरधन के स्थान पर गणपत राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं0 9 का नाम श्योदान राम पुत्र गोरधन के स्थान पर सौदान राम पुत्र

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

गोरधन राम, वादीगण सं० 10 का नाम नोलाराम पुत्र गोरधन के स्थान पर नोला राम पुत्र गोरधन राम, वादीगण सं० 12 का नाम नानी देवी पुत्री गोरधन के स्थान पर नानु देवी पुत्री गोरधन राम, वादीगण सं० 13 का नाम प्रभु पुत्र हणमान के स्थान पर प्रभु राम मेघवाल पुत्र हनुमान राम, वादीगण सं० 14 का नाम गुमान पुत्र हणमान के स्थान पर गुमाना राम पुत्र हणमान राम, वादीगण सं० 15 का नाम प्रहलाद पुत्र पुसा के स्थान पर प्रहलाद राम पुत्र पुसा राम, वादीगण सं० 17 का नाम सोहन पुत्र गणेशा के स्थान पर सोहन लाल पुत्र गणेशाराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार रेकॉर्ड दुरुस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 27.11.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

ikas
उपर्युक्त अधिकारी
डिडवाना
डिडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुवमनामा		
हुवमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

ikas
उपर्युक्त अधिकारी
डिडवाना
डिडवाना